न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 40/2015 **दायरा दिनांक : 02.03.2015**

उनवान

रामप्रसाद पुत्र श्री किशन लाल आयु 52 साल, जाति हरिजन, निवासी ग्राम मण्डोला हाल निवासी संतोषी नगर, टी वी एस शोरूम के पीछे मकान नं. 117 कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— पीर मोहम्मद पुत्र श्री छीतर शाह, जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डोला, तहसील बारां, जिला बांरा

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या — 7/2013 निर्णय दिनांक 22.12.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पुर्नविचारण पेश कर यह कथन किया कि आवंटनशुदा आराजी पर प्रार्थी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे । पीर मोहम्मद के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.7.89 को इस आशय का फर्जी तरीके से रामप्रसाद पुत्र किशना के नाम का पेश किया कि रामप्रसाद का कोई कब्जा नहीं है । अतः आवंटन निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है जबकि वह प्रार्थना पत्र फर्जी एवं बनावटी था । अतः पत्रावली तलब कर आदेश दिनांक 10.08.98 निरस्त किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत पुर्नविचारण खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 16 वर्ष के बाद प्रार्थना पत्र पेश करने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । रेस्पोडेंट ने फर्जी तरीके से अपीलांट का आवंटन निरस्त करवाया है । अपीलांट ने कभी भी आवंटन को निरस्त करने की सहमति नहीं दी थी । अपीलांट का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं

दिया है । अपीलांट ने कभी भी आवंटन को निरस्त करने के लिए सहमति नहीं दी थी । अपीलांट की ओर से फर्जी तरीके से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । इस कारण अपीलांट ने पुर्नविचारण प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो स्वीकार होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 10.08.98 को पुर्नविचारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.12.2014 को निरस्त किया है । इस आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल नहीं है, वरन अपीलांट माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन पेश कर सकते हैं ।

इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है । अपीलांट सक्षम न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा